

(366)

(242)

(16)

न्यायालय श्री मानु राजस्व मंडल खालियर सर्विं कोर्ट रीवा जिला रीवा म०प्र०
R. 5048 दा। 17



R. 5048 दा। 17

१- बाल्मीकि पटेल तनय स्व० शिवकोर पटेल उम्र 56 वर्ष पेशा खेती निवासी
ग्राम अमिलकी पोस्ट अमिलकी तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०
----- निगरानी कर्ता ।

बनाम

१- लालमणि पटेल तनय श्री रामतिया पटेल उम्र 48 वर्ष पेशा नौकरी व खेती
निवासी ग्राम अमिलकी पो० अमिलकी तह० हुजूर जिला रीवा म०प्र० ।

२- रामकृष्णाल पटेल तनय शिवकोर पटेल पेशा खेती उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम
अमिलकी पो० अमिलकी तह० हुजूर जिला रीवा म०प्र० ।

३- बृजदासी तनय शिवकोर पटेल उम्र 65 वर्ष पेशा खेती,

४- मनमोहन पिता रामलला उम्र 68 वर्ष पेशा खेती,

५- रामरंगोले पिता रामलला उम्र 53 वर्ष पेशा खेती,

६- शंकर पिता रामलला उम्र 52 वर्ष पेशा खेती,

७- रामलख्म पिता रामलला उम्र 50 वर्ष पेशा खेती,

८- मिथिला पिता रघुमन्दन उम्र 77 वर्ष पेशा खेती,

----- क्र० ३ ता ८ तभी निवासी ग्राम अमिलकी तह० हुजूर जिला

रीवा म०प्र० ।

९- शासन म०प्र० द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा

----- अनावेदक गा ।

नायब तहसीलदार गोविन्दगढ़ तहसील
हुजूर जिला रीवा द्वारा प्र० क्र० 4/अ७४/
१४-१५ मे पारित आदेश दिनांक २३-१२-
-२०१६ के पिछे निगरानी याचिका अन्त-
र्गत धारा ५० भू० रा० प्र० संहिता ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

आवेदक का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :-

बाल्मीकि पटेल


क्र० -----

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश खालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5048-दो 17 जिला रायपुर

वालमीकि यरेल विरुद्ध लातमारा यरेल

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अशोक गोपी अधिवक्ता</p> <p>द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील उच्चार (गोपीरामाराव) के</p> <p>प्रकरण क्रमांक ०५/३८७४/१४-१८ में पारित आदेश</p> <p>दिनांक २३-१२-१६ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर १६-११-१९ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक १६-४-१९ को कलेक्टर ०५/११ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	

मान्यवर,

निशानी के आधार :-

आवेदक का विनम्र निवेदन नींदे लिखे अनुसार है :-